

## राजस्थान सरकार

## आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

F4 (Policy) C(E/P1/2021-22/ 963

Bir 02/03/2023

निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

- वर्तमान में प्रभावी नीति में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-रूपांतरण के उल्लिखित मापदंड के स्थान पर "शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू रूपान्तरण आदेश / सक्षम स्तर द्वारा प्रमाणित शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू रूपान्तरण प्रक्रियाधीन होने का प्रमाण पत्र तथा परिशिष्ट 07 अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा " समावेशित किया जाता है।
- 2. विशेष परिस्थिति/छात्रहित में नीति के किसी भी बिन्दु पर रियायत प्रदान करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा " समावेशित किया जाता है।

उक्त संशोधन सत्र 2023 -24 से लागू होंगे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित है :-

- 1. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
- 2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार।
- 3. समस्त क्षेत्रीय सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार।
- 4. समस्त नोडल प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय राजस्थान
- 5. समस्त सचिव/प्राचार्य निजी महाविद्यालय सामान्य शिक्षा, राजस्थान। 6. वेब प्रभारी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
- 7. रक्षित पत्रावली

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा

Signature valid

Digitally signed by Sur Designation, Commissionate: 2023.08.02.01.17

Reason: Appro

RajKaj Ref No.: 3209201

